न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास – झंवरलाल मित्तल, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 96/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री लेहरू लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी काबरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज.

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया
पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07/04/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी राज्य सरकार इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं वैध कब्जे की कृषि भूमि ग्राम आमलीगढ़, पटवार हल्का आमलीगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि आराजी नम्बर 157/2, कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसकी जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस संवत 2075 से 2078 हमराह प्रार्थनापत्र पेश है। स्थिर। है। जिसकी जनाबंदी एवं नक्शा ड्रेस संवत 2075 से 2078 हमराह प्रार्थनापत्र पेश है। यह कि हाल ही में प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजियात की सीमाझान करवाने हेतु नक्शा ट्रेस व जगाबंती निकलवायी तो जानकारी में आया कि प्राथर्थी की आराजी नम्बर 157 रकबा 0.0885 हैक्टयर यानि 07 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है. मौके पर प्रार्थीया का 07 बिस्वा भूगि पर कब्जा है। लेकिन राजस्व नवशे मे 07 बिस्वा भूमि इस कारण राजस्व नक्शे में कमी तरमीम को पूर्ण कर 07 बिस्वा के रूप मे तरमीम करायी जाना न्याोचित एवं आवश्यक है। यह कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को राजस्व नक्शे गे तरमीम शुद्धि हेतु विपक्षी तहसीलदार साहब को निवेदन किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा हर बार जल्दी ही जांच करवाकर दुरुस्त करने का आश्वासन दिया लेकन दिनांक 30/05/2024 को विपक्षी के समक्ष निवेदन करने पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश से तरमीम कराने की बात कही गयी, जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी

का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित सरहद आमलीगढ़ पटवार छल्का आमलीगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित है. जिसके आराजी नम्बर 157 एक सौ सत्तावन रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि को राजस्व नक्शे में कमी तरमीम रकबे को पूर्ण कर 0.0885 हैक्टयर के रूप मे तरमीम करायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 11–06–2026 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षियों की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी राज्य पक्ष, तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा जवाब पेश करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय द्वारा वांछित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, हमीरगढ़ को जांच के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों की अनुपालना में भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप एवं पटवार हल्का आमलीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण एवं संबंधित जमाबंदियों का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच में यह पाया गया कि ग्राम आमलीगढ़, पटवार हल्का आमलीगढ़ स्थित आराजी सं० 157, रकबा 0.0885 हैक्टेयर (07 बिस्वा), किस्म बंजर, खातेदार कमलादेवी पत्नी लेहरू लाल, जाति कुमावत, निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ़ के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज है। इसकी जमाबंदी नकल रिपोर्ट से स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की पुष्टि होती है। जांच के दौरान पूर्ववर्ती जमाबंदी संवत 2055 से 2058 का भी परीक्षण किया गया, जिसमें आराजी सं० 157/2 का कुल रकबा 3 बीघा दर्ज पाया गया। तत्पश्चात नामांतरण सं. 571 दिनांक 05.09.2001 के आधार पर भूमि का विभाजन एवं संशोधन किया गया। उक्त नामांतरणों के फलस्वरूप नवीन आराजी सं. 157/2 रकबा 3 बीघा श्री जमनालाल पिता भैरू जाट नि0 टापरिया खेडा के नाम एवं आ.स. 157 मी. रकबा 07 बिस्वा मूल खातेदार देबी रूघनाथ, सुखी मु. रूघनाथ के नाम दर्ज हुआ। जांच प्रतिवेदन के बिंदु सं. 9 में स्पष्ट उल्लेख है कि आराजी सं. 157 का रकबा अभिलेखों में 2 07 बिस्वा दर्ज होने के बावजूद राजस्व नक्शे में तरमीम के समय कम प्रदर्शित है, जबकि आराजी सं. 1406/157 रकबा 0.7525है0 एवं 1407/157 रकबा 0.0063है0, का रकबा नक्शे में अभिलेखीय प्रविष्टि से अधिक अंकित है। इससे यह सिद्ध होता है कि नक्शा तरमीम के दौरान तकनीकी या अभिलेखीय त्रुटि रह गई है, जिसके कारण नक्शा एवं रिकॉर्ड में असंगति उत्पन्न हो गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे एवं नक्शे में प्रदर्शित रकबे के मध्य अंतर विद्यमान है, जो भविष्य में सीमाविवाद अथवा अन्य राजस्व कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न कर

सकता है। अतः न्यायहित एवं अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक है कि संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व नक्शे में विधिवत संशोधन/तरमीम कर आराजी सं. 157 का रकबा 0.0885 हैक्टेयर (07 बिस्वा) सही रूप में अंकित किया जाए तथा आराजी सं० 1406/157 एवं 1407/157 के रकबे का भी रिकॉर्ड अनुसार समायोजन किया जाए, ताकि जमाबंदी एवं नक्शे में पूर्ण एकरूपता स्थापित हो सके। अतः संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत है। उपस्थित आए प्रार्थीया के दक्ष अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत इस प्रार्थनापत्र में अभिलेखों का अवलोकन, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण तथा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का आमलीगढ़ की संयुक्त जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीया कमलादेवी पत्नी लेहरू लाल, निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ़, ग्राम आमलीगढ़ स्थित आराजी सं० 157, रकबा 0.0885 हैक्टेयर (07 बिस्वा) की विधिवत खातेदार एवं कब्जेदार है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत ई–साइन जमाबंदी नकल (संवत 2075 से 2078), पूर्ववर्ती जमाबंदी (संवत 2055 से 2058), नामांतरण सं. 571 दिनांक 05.09.2001 की प्रतिलिपियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि आराजी सं. 157 का नवीन रकबा 07 बिस्वा विधिवत रूप से दर्ज हुआ है। अभिलेखीय प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विवादित स्थिति परिलक्षित नहीं होती तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम निर्विवाद रूप से दर्ज है। संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आराजी सं. 157 का रकबा राजस्व अभिलेखों में 0.0885 हैक्टेयर दर्ज होने के बावजूद राजस्व नक्शे में तरमीम के समय उक्त रकबा कम प्रदर्शित किया गया है, जबकि संबंधित आराजी सं. 1406/157 व 1407/157 का रकबा नक्शे में अभिलेखीय प्रविष्टि से अधिक अंकित हो गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि नक्शा तरमीम के दौरान तकनीकी अथवा लिपिकीय त्रुटि रह गई, जिससे नक्शा एवं जमाबंदी में असंगति उत्पन्न हो गई। न्यायालय यह मानता है कि जब जमाबंदी, नामांतरण आदेश एवं अभिलेखीय प्रविष्टियाँ विधिसम्मत रूप से विद्यमान हैं तथा संयुक्त जांच में भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो चुकी है, तब केवल नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर प्रार्थीया को उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः यह प्रकरण वास्तविक स्वामित्व विवाद का नहीं, बल्कि अभिलेखीय शुद्धि का है, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अतः समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का दावा न्यायसंगत, वैध एवं स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विपक्षी स्वीकार करते हुए न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ़ को यह आज्ञा देता है कि ग्राम आमलीगढ़, पटवार हल्का आमलीगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित आराजी सं० 157 का रकबा 0.0885 हैक्टेयर (07 बिस्वा) राजस्व नक्शे में अभिलेखीय प्रविष्टि के अनुरूप पूर्ण रूप से अंकित/तरमीम किया जाए। साथ ही आराजी सं. 1406/157 एवं 1407/157 के रकबे का भी आवश्यक समायोजन रिकॉर्ड अनुसार किया जाए, ताकि नक्शा एवं जमाबंदी में एकरूपता स्थापित हो सके। संबंधित तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार सीमांकन/पैमाइश कर संशोधित नक्शा तैयार कर अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करें। तद्नुसार अनुपालनार्थ प्रेषित हो।

यह आदेश आज दिनांक 07–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवरलाल मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा